

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
50प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2024

विषय यूपीनेडा के प्रशासनिक व्यय (गैर वेतन) की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या-20 (गैर वेतन) मद की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4850/यूपीनेडा-ए-आयोजनेत्र बजट अनुमान/2023-24, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या-4970/यूपीनेडा-ए-आयोजनेतदर बजट अनुमान/2023-24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखाशीर्षक 2810-02-1010-0301-27 नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्व-यन मद में उपलब्ध धनराशि में से पुनर्विनियोग के माध्यम से संक्रमित की गयी धनराशि ₹0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) को स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्याय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- 1- यूपीनेडा द्वारा जिस मद में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 2- जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उक्त मद में प्रस्तावित धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- 3- प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। यूपीनेडा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।
- 4- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने एवं उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु यूपीनेडा उत्तरदायी होंगे।
- 5- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अंतर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जाये, जितनी कि दिनांक 31-03-2024 तक उपयोग हो सके।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

10- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

11- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/ पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

13- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के संख्या-आर0ई0 संख्या -बजट-1-469-E-10-155/x-2023-24, दिनांक 16-02-2024 में दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010301 नान कन्वेशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 11 /2024 /288(1) /005-87-01002-099-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।